



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08122021-231716
CG-DL-E-08122021-231716

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4718]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 8, 2021/अग्रहायण 17, 1943

No. 4718]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 8, 2021/AGRAHAYANA 17, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5092(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से, आंध्र प्रदेश राज्य के वाई एस आर (कडपा) जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 716जी के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 60.000 तक पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन हेतु उक्त अनुसूची के स्तम्भ (4), (5), (6) और (7) में क्रमशः उल्लिखित राज्य, जिलों, तालुकों और गावों से सम्बन्धित उक्त अनुसूची के स्तम्भ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट भूमि के सम्बन्ध में अनुसूची के स्तम्भ (2) में उल्लिखित अधिकारियों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारियों के कृत्यों का निष्पादन करने के लिए एतद्वारा सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के वाई एस आर (कडपा) जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.716जी पर भूमि का अधिग्रहण

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	रैभनू डिभिशनल औफसर, जम्मलमडुगु	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH716G के कि.मी. 0 से 60 तक	आंध्र प्रदेश	वाई एस आर (कडपा)	मुद्दानुर	1 नालाबाले
						2 बोंडलाकुंटा
						3 चिन्नादुदयाला
						4 पेड्डादुदयाला
						5 मुड्डानुरू
					पुलिवेंदुला	1 रायलापुरम
						2 रागिमानुपल्ली
						3 कनम्पल्लि
						4 रत्सामारिपल्ली
						5 पेड्डारंगापुरम
						6 अहोबिलापुरम
						7 पुलिवेंदुला
						8 येरगुडीपल्ली
						9 भाकारापुरम
						10 येल्लमवारीपल्ली
					थोंडुर	1 थोंडुर
						2 मल्लेला
						3 इनागालूरु
						4 ठेल्लूर
						5 गुंदलामडुगु
						6 साईदापुरम

[फा. सं. RW/NH-12014/23/2018-AP/Zone-III]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th December, 2021

S.O. 5092(E).— In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land specified in the corresponding entry in column (3) of the said Schedule relating to state, districts, taluk and villages mentioned in column (4), (5), (6) and (7) respectively of the said Schedule for upgradation to 2 laning with paved shoulders of km. 0.000 to 60.000 of National Highway No.716G in the district of Y . S . R . (Kadapa) in the State of ANDHRA PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No.716G in the district of Y . S . R . (Kadapa) in the State of Andhra Pradesh

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village	
1	2	3	4	5	6	7	
1	REVENUE DIVISIONAL OFFICER, JAMMALAMADUGU	0KM To 60KM	ANDHRA PRADESH	Y . S . R . (Kadapa)	Muddanur	1	Nallaballe
						2	Bondalakunta
						3	Chinnadudyala
						4	Peddadudyala
						5	Muddanuru
					Pulivendula	1	Rayalapuram
						2	Ragimanupalli
						3	Kanampalli
						4	Ratsamarripalli
						5	Peddarangapuram
						6	Ahobilapuram
						7	Pulivendula
						8	Yerragudipalli
						9	Bhakarapuram
						10	Yellamvaripalli
					Thondur	1	Thondur
						2	Mallela
						3	Inagaluru
4	Thellur						
5	Gundlamadugu						
6	Saidapuram						

[F. No. RW/NH-12014/23/2018-AP/Zone-III]

RAJESH GUPTA, Director